पत्र सं0–7 / स्थापना व्यय–आवंटन–07 / 2023–15(7)स्वा /

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग / दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची / संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका / पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर / कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा।
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)।

/ स्वा0, राँची, दिनांक: 28/04/2026

विषयः स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06–लोक स्वास्थ्य 001– निदेशन और प्रशासन 26– जन स्वास्थ्य संस्थान एवं अधीक्षण (आर0डी0डी0एच0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के व्यय हेतु कुल ₹ 4,94,42,000 / – (चार करोड़ चौरानबे लाख बयालीस हजार) का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / उपशीर्ष / विस्तृत शीर्ष के अधीन संलग्न Online विवरणी में अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है:–

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या–20 / 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	06–लोक स्वास्थ्य	001–निदेशन और प्रशासन 26– जन स्वास्थ्य संस्थान एवं अधीक्षण (आर0डी0डी0एच0)	₹ 4,94,42,000 / – (चार करोड़ चौरानबे लाख बयालीस हजार)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ एवं जन स्वास्थ्य संस्थान के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे। विभागीय पत्रांक – 20(7), दिनांक – 15.04.2025 के आलोक में संबंधित जिले के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (संलग्न विवरणी के अनुसार) प्राप्त राशि जन स्वास्थ्य संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपआवंटित करेंगे।

4. इस राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

5. राशि की निकासी के पूर्व विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे कि विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वंय सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

6. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / उपशीर्ष / विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

(शिवजी वर्मा) सरकार के अवर सचिव	(अनन्त कुमार) सरकार के उप सचिव	(सीमा कुमारी उदयपुरी) सरकार के संयुक्त सचिव	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

कृ0पृ0उ0

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग–अलग रखेंगे।

8. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जाँच कर संतुष्ट हो ले कि बकाया राशि का निकासी निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार की गई है।

10. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

11. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्त्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।

13. सभी संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कार्यालयों से संबंधित उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के आलोक में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के **COBT – Form 3A** में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अतः **COBT – Form 3A** के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरुप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।

यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो **Form 3A** में सूचना विभाग को सूचनाएँ उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक माह के 20 तारीख से अगले माह के 20 तारीख तक की अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर प्रत्येक माह वेतन का विपत्र तैयार कराएंगे एवं वेतन की ससमय निकासी नहीं होने के लिए निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप यह सुनिश्चित करेंगे कि **Ghost Employee**/अवैध रूप से नियुक्त कर्मी के वेतन की निकासी नहीं हो। ऐसे किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18. वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए।

19. प्रत्येक माह आवंटित राशि के विरूद्ध की गई निकासी की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

15(7)ब
28/04/2026

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–7 / स्थापना व्यय–आवंटन–07 / 2023 15(7)व / स्वा0,राँची,दिनांक– 28/04/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–7 / स्थापना व्यय–आवंटन–07 / 2023 15(7)व / स्वा0,राँची,दिनांक– 28/04/2026

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड / संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	वेतन	20S22100600126000101	49442000
	कुल आवंटित राशि		**49442000**

कुलः ₹ 4,94,42,000 / – (चार करोड़ चौरानबे लाख बयालीस हजार)।

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	वेतन	कुल योग
1	क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा0 सेवाऐ, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका	5172000	5172000
2	क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा0 सेवाऐ, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची	10465000	10465000
3	क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा0 सेवाऐ, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग	13518000	13518000
4	क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा0 सेवाऐ, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर	3775000	3775000
5	क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा0 सेवाऐ, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा	1881000	1881000
6	जन स्वास्थ्य संस्थान चाईबासा	575000	575000
7	जन स्वास्थ्य संस्थान देवघर	772000	772000
8	जन स्वास्थ्य संस्थान धनबाद	1814000	1814000
9	जन स्वास्थ्य संस्थान दुमका	2148000	2148000
10	जन स्वास्थ्य संस्थान गिरिडीह	633000	633000
11	जन स्वास्थ्य संस्थान पाकुड	1567000	1567000
12	जन स्वास्थ्य संस्थान पलामू	1459000	1459000
13	जन स्वास्थ्य संस्थान राँची	4864000	4864000
14	जन स्वास्थ्य संस्थान साहेबगंज	799000	799000
	कुल योग	49442000	49442000

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 06 - लोक स्वास्थ्य & 001 - निदेशन और प्रशासन & 26 - जन स्वास्थ्य संस्थान एवं अधीक्षण (आर०डी०डी०एच०)

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100600126000101	Total
					वेतन	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dumka	DMKMED084	Pramod Kumar Sharma	R.D.D. Health S.P. Dumka	₹51,72,000.00 (4672)	₹51,72,000.00
2	Doranda	DRNMED046	Prabhat Kumar	Rddhs South Ch.Div.Ranchi	₹1,04,65,000.00 (4731)	₹1,04,65,000.00
3	Hazaribagh	HZBMED011	Shiv Prasad Mishra	Rdd Health Ncd Hzb	₹1,35,18,000.00 (4733)	₹1,35,18,000.00
4	Palamu	PLMMED001	Awdhesh Singh	R.D.D.Health	₹37,75,000.00 (4735)	₹37,75,000.00
5	Singhbhum West	SGHMED154	Sushanto Kumar Majhee	Rdd.Healthsinghbhum(Kolhan)Cbs	₹18,81,000.00 (4738)	₹18,81,000.00
6	Singhbhum West	SGHMED077	Meena Kalundia	Acmo-2 Public Health	₹5,75,000.00 (4742)	₹5,75,000.00
7	Deoghar	DGRMEDE30	Bachcha Prasad Singh	A.C.M.O. Deoghar	₹7,72,000.00 (4745)	₹7,72,000.00
8	Dhanbad	DHNMED084	Alok Bishwakarma	A.C.M.O. Dhanbad	₹18,14,000.00 (4750)	₹18,14,000.00
9	Dumka	DMKMED186	Dr.Kamleshwar Prasad	A.C.M.O,Dumka	₹21,48,000.00 (4753)	₹21,48,000.00
10	Giridih	GRDMED002	Bachcha Prasad Singh	Add. C.M.O. Giridih	₹6,33,000.00 (4756)	₹6,33,000.00
11	Pakur	PKRMED021	Surendra Kumar Mishra	A.C.M.O.Pakur.	₹15,67,000.00 (4759)	₹15,67,000.00
12	Palamu	PLMFMW002	Anil Kumar Sriwastwa	M.O.A.C.M.O.Dtg	₹14,59,000.00 (4762)	₹14,59,000.00
13	Ranchi	RNCMED053	Dr Amrendra Prasad	A.C.M.O.Ranchi	₹48,64,000.00 (4763)	₹48,64,000.00
14	Sahebganj	SBJMED023	Ramdeo Paswan	Add.C.M.Officer Sahibganj	₹7,99,000.00 (4764)	₹7,99,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹4,94,42,000.00 (चार करोड चौरानवे लाख बयालीस हजार **) रूपये मात्र।**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

15(7)a
28/04/2026

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY